पत्रसंख्या-स्थापना- कार्य एवं दायित्व - 4918 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राज0-अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक::मार्च::24, 2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)/असिस्टेंट कमिश्नर(कर निर्धारण)/
वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

विषयः खण्डों के पुर्नगठन तथा खण्डों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किए जाने के फलस्वरुप डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) ,असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण) तथा वाणिज्य कर अधिकारी के मध्य कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में ।

डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)

1- डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) अपने खण्ड के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा खण्ड के कार्यों के सम्पादन के लिए समस्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे।

2- डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) द्वारा खण्ड में सकल बिक्रयधन के आधार पर 100 सबसे बड़े व्यापारियों के कर निर्धारण, अर्थदण्ड एवं प्राविजनल रिफण्ड तथा आई0टी0सी0 क्लेम सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जायेगा तथा इन 100 सबसे बड़े व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे रुपपत्रो की स्क्रुटनी एवं उनके द्वारा दिए जा रहे कर का अनुश्रवण किया जायेगा।

3- स्वयं के आदेशों द्वारा सृजित माँग के सम्बन्ध में डिमाण्ड नोटिस, वसूली प्रमाण-पत्र आदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जारी किए जायेंगे।

4- खण्ड में उपलब्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मध्य कार्यों/पटलों का विभाजन किया जायेगा।

5- खण्ड से भेजी जाने वाली सूचनाएं एवं विवरण पत्रों का प्रेषण अपने निर्देशन में कराया जायेगा।

6- जिलाधिकारी/अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आहूत बैठक में खण्ड से सम्बन्धित सूचनाएं समय से प्रेषित करते हुए बैठक में खण्ड का प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

7- विभागीय वसूली योजना के जनपदों में डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) /कर वसूली अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए वसूली की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।

8- जिन जनपदों में विभागीय वसूली योजना लागू नहीं है उन जनपदों के राजस्व /प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वसूली का कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा विभागीय अभिलेखों से मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

9- खण्ड के अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों की समस्याओं एवं उनके द्वारा उठाई गई जिज्ञासाओं का समाधान करने का उत्तरदायित्व डिप्टी कमिश्नर का होगा।

10- मुख्यालय द्वारा अथवा अन्य उच्च कार्यालयों द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्य अभियानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एवं इसके लिए खण्ड के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराये जाने का दायित्व डिप्टी कमिश्नर का होगा।

11- खण्ड के समस्त कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण डिप्टी कमिश्नर द्वारा रखा जायेगा। खण्ड में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि का अंकन डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) द्वारा खण्ड में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर से उनका अभिमत प्राप्त करते हुए किया जायेगा।

12- डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) द्वारा अपने से सम्बन्धित 100 बड़े व्यापारियों के सम्बन्ध में धारा-29 व धारा-56 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए जायेंगे।

13- आकस्मिक निरीक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक त्रैमास में विभिन्न पटलों एवं अधीनस्थ अधिकारियों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए निरीक्षण आख्या का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व भी डिप्टी कमिश्नर का होगा।

14- वाह्य सम्परीक्षा एवं आन्तरिक सम्परीक्षा के पार्ट -2ए के प्रस्तरों का समयबद्ध निस्तारण करने का दायित्व डिप्टी कमिश्नर का होगा एवं पार्ट-2बी के प्रस्तरों का निस्तारण अपने निर्देशन में सम्बन्धित असिस्टेंट कमिश्नर से कराकर समय से अनुपालन प्रेषित किया जाना भी डिप्टी कमिश्नर का दायित्व होगा।

15- वैट व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त प्राविजनल रिफण्ड डिप्टी कमिश्नर द्वारा समय से जारी किए जायेंगे।

16- डिप्टी कमिश्नर अपने अधिक्षेत्र में नियमित अन्तराल पर पंजीयन कैम्प आयोजित करायेंगे तथा उसको सफल बनाने का दायित्व भी डिप्टी कमिश्नर का ही होगा।

17- वैट के सम्बन्ध में मुख्यालय से जारी किए गये परिपत्रों, विज्ञप्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा डेवलप किए जा रहे विभिन्न माड्यूल पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व डिप्टी कमिश्नर का होगा।

18- करदाताओं द्वारा प्रथम अपील के मेमोरेण्डम आफ अपील को कर निर्धारण अधिकारी को देने का प्राविधान वैट व्यवस्था में किया गया है। अपने वादों के विरुद्ध दाखिल अपीलों से प्राप्त मेमोरेण्डम पर विभाग का पक्ष लिखित रुप से अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्ततु करेंगें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी भी अपने आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में नियमित रुप से लिखित रुप से विभाग का पक्ष अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

19- प्रथम अपीलीय निर्णयों के विरुद्ध द्वितीय अपील दायर किया जाना / निक्षेप किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) द्वारा लिया जायेगा तथा जिन मामलों में द्वितीय दायर करने का निर्णय लिया जाता है उनमें द्वितीय अपील का प्रस्ताव अपने निर्देशन में डिप्टी कमिश्नर द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

20- खण्ड के अधिक्षेत्र के व्यापारियों द्वारा क्लेम किए जा रहे आई0टी0सी0 एवं जमा किए जा रहे कर का विस्तृत अध्ययन करते हुए डिफाल्टर व्यापारियों तथा ट्रेडवाइज एनलिसस करते हुए विभिन्न रिस्क कटेगरी के व्यापारियों को चिन्हित करने का दायित्व भी डिप्टी कमिश्नर का होगा।

21- अपने अधिक्षेत्र के अधिक से अधिक व्यापारियों को दाखिल रिटर्न की Soft copy दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

22- खण्ड के अन्य समस्त कार्य अपने निर्देशन में सम्पादित कराये जायेंगे।

असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण)

1- असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा खण्ड में सम्पादित किए जाने वाले कार्यों को डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के निर्देशन में सम्पादित कराया जायेगा।

2- खण्ड में सकल बिक्रयधन के आधार पर सबसे बड़े 100 व्यापारियों को छोड़कर शेष में से 400 बड़े व्यापारियों के कर निर्धारण, अर्थदण्ड एवं प्राविजनल रिफण्ड सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।

3- स्वयं के आदेशों द्वारा सृजित मांग के सम्बन्ध में रिफण्ड, नोटिस, वसूली प्रमाण-पत्र आदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जारी कराये जायेंगे।

4- असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के आदेशों से सम्बन्धित रिफण्ड के मामलों में रिफण्ड/प्राविजनल रिफण्ड निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जारी किए जायेगे।

5- अपनी मौद्रिक सीमा के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के बिक्री रुपपत्रों तथा उनके द्वारा दिए जा रहे कर के सम्बन्ध में नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। अपनी मौद्रिक सीमा के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में धारा-29 व धारा-56 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार प्रस्ताव डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) के माध्यम से उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए जायेंगे।

6- खण्ड के संग्रह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असिस्टेंट कमिश्नर भी समान रुप से उत्तरदायी होंगे तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक माह डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के मार्गदर्शन में कार्य योजना तैयार कर तद्नुसार उस कार्य योजना के अनुरुप कार्य सम्पादित करेंगे। अपने खण्ड के अन्तर्गत कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के कार्यों का नियमित अनुश्रवण करेगे तथा माह में कम से कम एक पटल का विस्तृत निरीक्षण कर निपोर्ट डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) को प्रेषित करेंगे।

7- मुख्यालय द्वारा निर्धारित विवरण पत्रों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मांगे गये विवरण/सूचनाओं को समय से डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के निर्देशन में पूर्ण कराकर समय से प्रेषित किया जायेगा।

8- आकस्मिक निरीक्षण के अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर प्रत्येक माह कम से कम एक पटल का विस्तृत निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) को उपलब्ध करायी जायेगी । निरीक्षण में पाई गई कमियों का निराकरण कराकर उनसे सम्बन्धित आख्या भी डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) को प्राप्त करायी जायेगी।

9- विभागीय वसूली योजना के जनपदों में सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) / कर वसूली अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए वसूली की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी तथा जिन जनपदों में विभागीय वसूली योजना लागू नहीं है उन जनपदों में डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के निर्देशन में राजस्व/ उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वसूली का कार्य सम्पादित किया जायेगा तथा विभागीय अभिलेखों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

10- मुख्यालय द्वारा तथा अन्य उच्च कार्यालयों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्य अभियानों का अनुपालन डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में सुनिश्चित कराया जायेगा।

11- असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा खण्ड में कार्यरत कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु अपना अभिमत डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) को प्रेषित किया जायेगा।

12- खण्ड से सम्बन्धित अपने या समकक्ष अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील का अपील मीमो प्राप्त होने पर विभाग का पक्ष लिखित रुप से प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

13- जिन मामलों में डिप्टी कमिश्नर द्वारा अपील दाखिल करने का निर्णय लिया जायेगा उनमें द्वितीय अपील का प्रस्ताव असिस्टेंट कमिश्नर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

14- आन्तरिक व वाह्य सम्परीक्षा के पार्ट-2बी के प्रत्यावेदनों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए अनुपालन सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

15- डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में नियमित अन्तराल में पंजीयन कैम्प आयोजित करायेंगे तथा उसको सफल बनाने हेतु डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। खण्ड के व्यापारियों द्वारा दाखिल रिटर्न की साफ्ट कापी दाखिल किए जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा ।

16- डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में मुख्यालय से जारी किए गये परिपत्रों , विज्ञप्तियों तथा डेवलप किए जाने वाले विभिन्न माड्यूल पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे।

17- खण्ड के अन्य समस्त कार्य डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में सम्पादित किए जायेगे।

वाणिज्य कर अधिकारी

1- वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड के डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य 2- करेंगे।

2- वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा खण्ड के सकल बिक्रयधन के आधार पर 500 सबसे बड़े व्यापारियों को छोड़कर शेष व्यापारियों के कर निर्धारण, अर्थदण्ड तथा आई0टी0सी0 क्लेम के दावों के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जायेगे।

3- वाणिज्य कर अधिकारी अपनी मौद्रिक सीमा के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में रिफण्ड नोटिस, वसूली प्रमाण-पत्र आदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जारी किए जायेगे।

4- वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर के आदेशों से सम्बन्धित रिफण्ड ,प्राविजल रिफण्ड निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जारी किए जायेगे।

5- डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के निर्देशन में मुख्यालय द्वारा निर्धारित विवरण पत्रों तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मांगे गये विवरण / सूचनाओ को समय से पूर्ण कराकर प्रेषित किया जायेगा।

6- आकस्मिक निरीक्षण के अतिरिक्त वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा माह में कम से कम एक पटल का विस्तृत निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) को उपलब्ध करायी जायेगयी। निरीक्षण में पायी गयी कमियों का निराकरण कराकर उनसे सम्बन्धित आख्या डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) को प्राप्त कराई जायेगी।

7- खण्ड में प्राप्त चालानों एवं रुपपत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रविष्टि वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा अपने निर्देशन में करायी जायेगी तथा बैंक से प्राप्त चालानों को डी0सी0आर0 से सत्यापन किया जायेगा।

8- वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा डिप्टी कमिश्नर के निर्देशानुसार अपने अधिक्षेत्र में आयोजित होने वाले पंजीयन कैम्प हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी ।

9- अपने आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील के मेमोरेण्डम आफ अपील प्राप्त होने पर नियमित रुप से विभाग का पक्ष अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

10- डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में बकाया वसूली सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जायेगा तथा बकाया अभिलेखों का मिलान, संयुक्त जांच सम्पादित करना एवं अपलेखन प्रस्ताव प्रेषित करने आदि का कार्य डिप्टी कमिश्नर के निर्देशन में किए जायेगे।

11- वाणिज्य कर अधिकारी डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) द्वारा निर्देशित किए गये कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

24.3.08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।

(ए0के0सिन्हा)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश , लखनऊ।